



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 10 मार्च, 2026 ई०

फाल्गुन 19, 1947 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग,

उत्तराखण्ड

संख्या- 3838/रा०नि०आ०-2/4542/2025

देहरादून, 10 मार्च, 2026

आदेश (संशोधन)

जनपद अल्मोड़ा के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन 2025 में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग के "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश, 2019" के प्राविधानानुसार निर्वाचन व्यय लेखा विवरण जमा करने में असफल रहने के फलस्वरूप जिला पंचायत/विकास खण्डवार विभिन्न पदों के लिए उल्लिखित व्यक्तियों/उम्मीदवारों को आयोग के आदेश संख्या-3784/रा०नि०आ०-2/4542/2025 दिनांक 02.03.2026 द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से तीन (03) वर्ष के लिये एतद्वारा अनर्ह घोषित किया गया है। उक्त आदेश के पृष्ठ संख्या-18, 19 एवं 20 में विकास खण्ड हवालबाग के प्रधान पद की तालिका के स्तम्भ-2 (विकास खण्ड/जिला पंचायत का नाम) पर विकास खण्ड का नाम त्रुटिवश हवालबाग के स्थान पर ताकुला अंकित हो गया है।

अतः उक्त आदेश के पृष्ठ संख्या-18, 19 एवं 20 में विकास खण्ड हवालबाग के प्रधान पद की तालिका के स्तम्भ-2 (विकास खण्ड/जिला पंचायत का नाम) पर विकास खण्ड का नाम ताकुला के स्थान पर हवालबाग पढ़ा जाय।

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या-3784/रा०नि०आ०-2/4542/2025 दिनांक 02.03.2026 को इस सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।